रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—22 REGISTERED No.—DL—(N) 04/0007/2003—22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04062022-236286
CG-DL-W-04062022-236286

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 4—जून 10, 2022 (ज्येष्ठ 14, 1944)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 4—JUNE 10, 2022 (JYAISTHA 14, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2022

सं. ए-12(11)1/2009-चि.-VI-(भाग-I-डी).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खंड (xxi) तथा उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा धारा 17 की उप-धारा (3) का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा शिक्षण संकाय पद) भर्ती विनियम, 2015 के अधिक्रमण में, जहां तक कि वे "सहायक आचार्य" के पद से संबंध रखते हैं, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से विलोपित बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद की भर्ती को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, "सहायक आचार्य भर्ती विनियम, 2022" कहे जाएंगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल:—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल इन विनियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. चयन बोर्ड का गठन:—(1) चयन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(क) भारत सरकार के सचिव या अतिरिक्त सचिव के समकक्ष प्रास्थिति का अंशकालिक अध्यक्ष अथवा वह व्यक्ति जिसने भारत सरकार के सचिव या अतिरिक्त सचिव के समकक्ष पद धारित किया हो, जिसे सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा;

(ख) जिस विषय या विशेषीकृत क्षेत्र के संबंध में भर्ती की जानी है, उससे जुड़े दो चिकित्सा विशेषज्ञ जो महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल से हो, अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा चुने जाएंगे; तथा

(ग) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली में विभागीय विशेषज्ञ होंगे और अन्य राज्यों या शिक्षण संस्थाओं के मामले में, संबंधित राज्य या शिक्षण संस्थाओं के संकायाध्यक्ष विभागीय विशेषज्ञ होंगे:

परंतु किन्हीं कारणों से ये अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो महानिदेशक किसी अन्य अधिकारी को विभागीय विशेषज्ञ के रूप में नामित कर सकते हैं।

(2) अंशकालिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यत: चयन बोर्ड के गठन की तिथि से एक वर्ष की होगी। हालांकि, उनकी अवधि को अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

(3) उप-विनियम (1) के खंड (ख) में संदर्भित अंशकालिक अध्यक्ष तथा चिकित्सा विशेषज्ञ उन दरों पर यात्रा भत्तों, बैठक शुल्क आदि के हकदार होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दरों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

5. चयन की प्रक्रिया एवं रीति:—अनुसूची में शामिल पदों पर सीधी भर्ती सामान्यत: चयन बोर्ड द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के आधार पर होगी :

परंतु चयन बोर्ड द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की विधि से भिन्न भर्ती प्रक्रिया अपनाना आवश्यक हो जाता है, तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद महानिदेशक द्वारा उसे अपनाया जाएगा। हालांकि, विज्ञापन में एक बार भर्ती की विधि अधिसूचित हो जाती है, तो बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(1) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्णय अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या एवं विहित अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(2) आयु, अर्हता, अनुभव आदि विहित अपेक्षाओं की पूर्ति मात्र अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाने या विज्ञापित पद पर किसी भी दावे के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

(3) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु आवेदनों के प्रक्रमण से संबंधित सभी कार्यों को महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(4) चयन बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहयोग महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

6. निरर्हता- ऐसा कोई व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति:—जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकेंगे।

8. व्यावृत्ति – इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक आचार्य	677* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह 'क' गैर- अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल -11 (67700 से 208700 रुपये) और केंद्रीय स्वास्थ्य योजना में अनुरूप पदों के लिए स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	लागू नही।	चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नियमित चिकित्सा अधिकारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि अखिल भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, लद्दाख अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) व्यापक विशेषताओं के लिए:— (अ) संबंधित विषय में कायचिकित्सा निष्णात (एमडी) अथवा शल्यचिकित्सा निष्णात (एमएस), अथवा कायचिकित्सा निष्णात (एमडी) या शल्यचिकित्सा निष्णात (एमएस) के समकक्ष डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी), तथा (ब) स्नातकोत्तर डिग्री अर्जित करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित विशिष्टता अथवा अतिविशिष्टता में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा अनुशिक्षक (ट्यूटर) अथवा निदर्शक अथवा पंजीयक अथवा सहायक आचार्य अथवा प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। (ख) अतिविशिष्टताओं के लिए:— स्नातकोत्तर के पश्चात् अतिविशिष्टता में कायचिकित्सा वारिधि	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालीन संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण अथवा पुर्ननियोजन।

(डीएम) अथवा मेजिस्टर क्यूरोगे (एम.सीएच) अथवा कायचिकित्सा वाचस्पति (डीएम) या मेजिस्टर क्यूरोगे (एम.सीएच) के समान डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) (ग) दंत चिकित्सा के लिए:— दंत्य शल्यचिकित्सा निष्णात (एमडीएस) अथवा संबंधित विषय या संबद्ध विधा में समकक्ष तथा दंत्य शल्यचिकित्सा निष्णात (एमडीएस) अर्जित करने के पश्चात् मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से संबंधित विशिष्टता अथवा अतिविशिष्टता में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा अनुशिक्षक अथवा निदर्शक अथवा पंजीयक अथवा सहायक आचार्य अथवा प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। (घ) गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए— शरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी), शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी) तथा जीव रसायन विज्ञान (बायोकेमिस्ट्री) के संदर्भ में संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता अर्थात् स्नातकोत्तर डिग्री तथा वारिधि डिग्री अथवा समय समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के “चिकित्सा संस्थान में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम 2022” द्वारा निर्धारित अनुसार तथा पीएचडी अर्जित करने के पश्चात् मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संबंधित विशिष्टता अथवा अतिविशिष्टता में वरिष्ठ रेजिडेंट अथवा अनुशिक्षक अथवा निदर्शक अथवा पंजीयक अथवा सहायक आचार्य अथवा प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव। टिप्पणी- संदर्भ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की बेवसाइट अर्थात् • https://www.nmc.org.in/MCIRest/open/getDocument?path=/Documents/Public/Portal/LatestNews/Giving%20Effect.pdf पर सार्वजनिक सूचना दिनांक 29.03.2022. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.01.2022 के आदेश द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और जीव रसायन विभाग में गैर-चिकित्सा शिक्षकों/संकाय संख्या के प्रतिशत संबंधी प्रावधान लंबित न्यायिक मामलों के परिणाम और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के आदेश के दिशानिर्देशों और समय-समय पर लागू संशोधनों के शर्ताधीन “चिकित्सा संस्थान में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 1998” के अनुसार जारी रहेंगे। टिप्पणी 1:— संबंधित विशिष्टता अथवा अतिविशिष्टता समय-समय पर संशोधित “चिकित्सा संस्थान में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 2022” के अनुसार होगी। टिप्पणी 2:— अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी चरण में चयन बोर्ड की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 3:— अनुभव को वैध शिक्षण अनुभव अथवा शिक्षण पदों के रूप में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अथवा चिकित्सा प्रणाली से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता दी जाएगी और इसका प्रमाण पत्र			

या इसके समर्थन में कोई अन्य वैद्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।			

नामांकन, पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नतियां/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा: केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार सेवा अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकाय के अंतर्गत अधिकारी: (i) अनुरूप पदधारी तथा कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए समान अर्हता और अनुभव धारक। टिप्पणी—1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाहय- संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति अवधि सहित सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नही होगी। टिप्पणी—2: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी—3: प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी—4: संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु -सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: सशस्त्र बलों के कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हे एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व के लिए स्थानांतरित किया जाना है तथा जिनके पास विहित अनुभव एवं अर्हता है, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति अवधि दी जाएगी जिस तिथि को वे सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होने वाले हैं; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बनाए रखा जा सकेगा ।	विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन:— 1. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम - अध्यक्ष; 2. चिकित्सा आयुक्त (चिकित्सा शिक्षा), कर्मचारी राज्य बीमा निगम अथवा संकायाध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान अथवा चिकित्सा महाविद्यालय -सदस्य; 3. उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम - सदस्य	लागू नहीं।

[फा. सं. ए/12/11/1/2021/ची.-VI-(आरआर)]

मुखमीत सिंह भाटिया
महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
(EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the 30th May 2022

No. A.12 (11)/1/2009-Med.-VI.-(Part-I-D)—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State insurance Corporation (Medical Teaching Faculty posts) Recruitment Regulation , 2015 in so far as they relate to the post of Assistant Professor, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State insurance Corporation here by makes, with the approval of the Central Government, the following regulations for regulating the method of recruitment for the post of Assistant Professor in the Medical colleges of Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Assistant Professor, Recruitment Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification, pay level in the pay matrix.–The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Composition of Selection Board.–

   (1) Selection Board shall consist of—

   (a) a part-time Chairman of the status equivalent to Secretary or Additional Secretary to the Government of India or a person who had held the post equivalent to Secretary or Additional Secretary to the Government of India, may be appointed by the secretary, Ministry of Labour and employment or the Director General Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation;

   (b) two Medical experts from the discipline or specialised field for which recruitment is to be made, who may be chosen by the Chairman, Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employees' State Insurance Corporation; and

   (c) the Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation shall be the departmental expert in New Delhi and in case of other States or teaching institutions the Dean of the respective State or teaching institutions shall be departmental expert:

   Provided, that the Director General can nominate some other officer as the departmental expert, in case the said officers are not available due to some reasons.

   (2) The term of office of the part-time Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board and his term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.

   (3) The part-time Chairman and the Medical experts referred to in clause (b) of sub-regulation (1) shall be entitled to travelling allowances, sitting fees, etc., at such rates as may be fixed by the Director General from time to time, keeping in view the rates prescribed by the Central Government.

5. Procedure and manner of selection. - Direct recruitment to the posts included in the Schedule shall ordinarily be made on the basis of an interview of eligible candidates by the Selection Board:

   Provided that in case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment other than on the basis of an interview of eligible candidates by the Selection Board, the Director General may adopt the same after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, and however, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.

   (1) The number of candidates to be invited for interview shall be decided by the Chairman of the Selection Board, keeping in view the number of vacancies and the number of applicants who satisfy the prescribed requirement.

   (2) Mere fulfillment of the prescribed requirement of age, qualification, experience, etc., shall not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.

   (3) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board shall be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

   (4) Necessary secretarial assistance shall be provided to the Selection Board by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

6. Disqualification, — No person, —

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.—Where the Director General of the Employees State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Savings.—Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Professor	677*(2022) Subject to variation depending on workload	Group 'A' Non-ministerial, Non-Gazetted	Pay Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700 to 208700) Plus Non practicing allowance as admissible to analogous posts in Central Health Service	Not applicable	Not exceeding forty years (relaxable up to five years for regular medical officers of the Employees' State Insurance Corporation and the government servant, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time-to-time). Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in all India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, and the Union Territories of Ladakh, Andman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(A) For Broad Specialties:— (a) Master of Medicine (MD) or Master of Surgery	Not applicable	Two years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation

(MS) or Diplomate of National Board (DNB) equated to Master of Medicine (MD) or Master of Surgery (MS) in the concerned subject, and (b) At least three years' teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar or Assistant Professor or Lecturer in the concerned Specialty or Super-specialty in a recognized teaching institution after obtaining the Post graduate degree. (B) For Super Specialties:— A Super Specialty after post-graduation qualification in Doctorate of Medicine (DM) or Magister Chirurgiae (M.Ch.) or Diplomate of National Board (DNB) equated to Doctor of Medicine (DM) or Magister Chirurgiae (M.Ch.). (C) For Dentistry:— Master of Dental Surgery (MDS) or equivalent in the respective subject or allied discipline and at least three years teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar or Assistant Professor or Lecturer in the concerned Specialty or Super-specialty in a recognized teaching institution after acquiring the Master of Dental Surgery (MDS). (D) For Non-medical Candidates:— A post graduate qualification i.e., Master's degree and Doctorate degree in the concerned subject from a recognized University in the respective subject in reference of Anatomy, Physiology and Biochemistry or as prescribed by the National Medical Commission in the "Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2022" as amended from time to time and at least three years teaching experience as Senior Resident or Tutor or Demonstrator or Registrar or Assistant Professor or Lecturer in the concerned Specialty or Super-Specialty in a recognized teaching institution after obtaining Ph.D. Note:— Reference-Public notice dated 29.03.2022 on NMC website i.e. ● https://www.nmc.org.in/MCIRest/open/getDocument?path=/Documents/Public/Portal/LatestNews/Giving%20Effect.pdf In compliance of directions issued by MoHFW vide order dated 03.01.2022, the provisions regarding percentage of non-medical teachers / number of faculty in the Department of Anatomy, Physiology & Biochemistry would continue as per the Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998, subject to outcome of pending mentioned court case in the matter and NMC further guidelines & amendments as applicable from time to time. Note 1: The concerned specialty or super specialty shall be as in Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2022 as amended from time to time. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Selection Board in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of			including Short term contract. For Ex-Servicemen: Transfer on deputation or re-employment.

selection, the Selection Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancies reserved for them. Note 3: The experience shall be recognized by the National Medical Commission or the statutory body concerned with the system of medicine as valid teaching experience or teaching posts and Certificate thereof or any other valid proof in support thereof shall be submitted and a certificate to this effect is to be submitted.			

In case of recruitment by nomination, promotion or deputation or absorption grades from which promotion or by deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is itscomposition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By Deputation or Absorption: Officers under Central or State Government service or Public Sector Undertakings or, autonomous bodies: -- (i) holding analogous posts and possessing same qualification and experience as for direct recruitment under column (7). Note-1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. Note-2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for Appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note-4; The maximum age limit for appointment by contract shall be not exceeding 62 years as on the closing date of receipt of applications. For Ex-Servicemen: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Medical Commissioner, Employees" State Insurance Corporation —Chairman; 2. Medical Commissioner (Medial Education), Employees' State Insurance Corporation or Dean, Employees' State Insurance Corporation Post Graduate Institute of Medical and Scientific Research or Medical College —Member; 3. Deputy Medical Commissioner, Employees" State Insurance Corporation —Member.	Not applicable.

[F.No. A/12 /11/1/2021/Med-6-(RR)]

MUKHMEET SINGH BHATIA
Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHA N ANANTHA KUMAR Digitally signed by JAGANATHAN ANANTHA KUMAR Date: 2022.06.04 13:38:08 +05'30'